162

III/निगरानी/अशोक नगर/भू-रा/2017/2192

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :- ....//2017 निगरानी, अशोक नगर

जय भगवान सिंह पुत्र श्री बारूराम सैनी निवासी ग्राम जनकपुर खिरिया परगना मुँगवाली जिला अशोक नगर —आवेदक

श्री आर.एस. तोमर द्वारा आज दि. 13-7-17 को प्रस्तुत
13-7-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1— लखविन्दर सिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह सिक्ख
2— सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह सिक्ख
3— सुखदेव सिंह पुत्र श्री मुख्तयार सिंह सिक्ख
4— हरी सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह सिक्ख
5— कुलदीप सिंह पुत्र जरभेद सिंह जाति सिक्ख
6— संतोष सिंह उर्फ रिकूं पुत्र श्री खेत सिंह जाति लोधी
7— गुरुबक्स सिंह पुत्र पूरन सिंह जाति सिक्ख
8— उधम सिंह पुत्र दलूप सिंह जाति लोधी
9— सूरजबाई बेवा पत्नी स्व. श्री धीरज सिंह यादव
10— चन्द्रपाल सिंह पुत्र खेत सिंह जाति लोधी
11— सुरेन्द्र सिंह पुत्र खेतसिंह जाति लोधी
12— गनेशराम पुत्र श्री निरन सिंह जाति लोधी
13— गोविन्द सिंह पुत्र श्री अन्तुराम जाति सैनी

समस्त निवासीगण ग्राम जनकपुर खिरिया परगना मुँगावली, जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश —अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 07/07/2017 न्यायालय

तहसीलदार महोदय परगना मुँगावली जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश प्रकरण क्रमांक 1/अ–13/2016–17 लखविन्दर सिंह आदि बनाम उधम सिंह आदि।

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

संक्षिप्त विवरण :–

1– यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे सर्वे क्रमांक 10 व 11 से रास्ता बताकर राजस्व अभिलेख मे रास्ता दर्ज करने की माँग की है।

2– यह कि, सर्वे क्रमांक 10/1, 10/2, 7, 8/1, 8/2, 9 व 11 में से कोई रास्ता कभी नहीं रहा और ना ही कभी अनावेदकगण या अन्य कोई आते जाते थे और ना ही ट्रेक्टर ट्राली मवशी आदि निकलाते है पूर्व से रास्ता नहीं रहा नया रास्ता अनावेदकगण की सुविधा के लिये कायम नहीं किया जा सकता है।

3– यह कि, प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश कर बताया कि, अनावेदकगण का आवेदन धारा 131 व 132 भू–राजस्व संहिता, 1959 मे नहीं आता इसलिये प्रकरण कानूनन चलने योग्य नहीं है आवेदन इसी स्तर पर निरस्त किया जावे।

4– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र आदेश्ज्ञ 7 नियम 11 पर बिना विचार किये निरस्त कर दिया अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से दुखित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय मे निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान प्रकरण पत्रावली व अधिकारिता रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2192

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर में पारित आदेश दिनांक 07.07.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 **कलेक्टर जिला अशोकनगर**	